


5+6
19+11

परूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (MANDLA), मध्य प्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 42271140/9344
पति.

दिनांक:- 15/05/2017

प्रबंधक,

(Maharishi Vidya Mandir Mandla, Binjhiya (Class 1-12))

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पञ्चायती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Maharishi Vidya Mandir Mandla, Binjhiya (Class 1-12), Mridu Kishore Colony, Binjhiya, Katra, Mandla m.p. को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति नियम तयत शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता प्रस्तावित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई वास्तविकता कभी भी रूप में व्यवहार नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वृत्त समूह तथा कक्षाएं वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि से, स्कूल यदि सहयता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य पार भक्त शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वास्तविक आवृत्ति व्यवस्था को पूरा करने हेतु इस प्रकार वास्तविक आवृत्ति सहयता या अनुदान प्राप्त होता है। किंतु यह न्यूनतम पञ्चायती प्रतिशत के अधीन होगा। यद्यपि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (ए स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवस्था की पूर्ति की जाएगी तथा ऐसी पूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रत्येक से बच्चों के प्रति उपबंध धारणा होगी।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी के पंढेशन पीरिस का संयोज नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ कभी छात्रवृत्ति पत्रिका को नहीं उपस्थाएगा।
- स्कूल कभी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा:-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए वहित की गई प्रस्तावित कालावधि के पञ्चायती ऐसा प्रवेश प्राप्त गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवश, जन्मस्थान या इनमें से कभी भी आधार पर।
- स्कूल मुनिष्ठित करेगा क:-
 - कभी स्कूल में पार भक्त शिक्षा पूर्ण होने तक कभी भी बालक को कभी कक्षा में रोकना या निष्काशन नहीं किया जाएगा;
 - कभी बालक को धारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - पार भक्त शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन पार भक्त शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/बुराहा आवश्यकता वाले बालकों को सम्मिलित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; यद्यपि कि वर्तमान में व्यवहारित जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(F) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रत्येक टी चंग की गति व धर्मों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित धारा धारणी द्वारा निर्धारित पाठ्यपत्रों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में वहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Principal
Maharishi Vidya Mandir
Mandla